

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :- 25/2020

(RCMS No. :-2020/00038)

उनवानी प्रकरण :-

बच्चू पुत्र श्रीपत जाति गुर्जर निवासी ग्राम कहारपुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर

-----अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेड़ी

----- रेस्पोजेण्ट।



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.02.2020
तहसीलदार बसेड़ी प्र.सं. 55/2020
उनवानी राज० सरकार बनाम बच्चू
अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से :- श्री राजेन्द्र सिंह राना अभिभाषक।
2. रेस्पोजेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :- 13-11-2020

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेड़ी के निर्णय दिनांक 28.02.2020 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए अर्थदण्ड एवं सजा का आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश विधि विपरीत है। अपीलान्ट पर सम्मन की तामील मानते हुये अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश परित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट को दोषी ठहराये जाने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना भविष्य में सरकारी जगह पर कोई अतिक्रमण करेगा, अपीलान्ट इस आशय का शपथ पत्र पेश कर देगा। अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 12.10.2020 को सम्बन्धित पटवारी के

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

माध्यम से हुई है। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्त अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2020 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोजेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्त पर मानते हुये उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलान्त की बैंक पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्त को पटवारी हल्का से दिनांक 12.10.2020 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। रेस्पोजेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील विधिवित रूप से कराई गई है। अपीलान्त बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं हुआ है। अपील अपीलान्त म्याद बाहर पेश की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्त अन्दर म्याद मानी जाती है।

उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए लगान की 50 गुना शास्ती राशि 75/- एवं दो माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्त पर विधिवत मानते हुये उसके विरुद्ध एकतरफा आदेश पारित किया है, और ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं जिससे अपीलान्त को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना जा सके। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 12.10.2020 को हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नहीं की है। अपीलान्त ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में कोई कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2020 खारिज किया जावे।



(आरो के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धूलपुर

रैस्पोजेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलान्ट पर विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2020 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेड़ी मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार अपीलान्ट के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं असल शपथ पत्र निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर, भोपाल